सुपर बाजार के कर्मचारियों की सेवाओं का नियमित किया जाना

1827. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार के कर्मचारियों/श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में कोई समरूप नीति है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) क्या अस्थाई आधार पर कार्य करने वाले मस्टर रोल, एन० एम० आर० श्रमिकों के कार्य दिवसों में कटौती करने की प्रथा रही है ताकि वे अपनी सेवाओं को स्थायी करने संबंधी दावा न कर सकें;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय भण्डार अनपेक्षित परिस्थितियों को निपटाने के लिए समय-समय पर दैनिक मजदूरी आधार पर व्यक्तियों की अनियत नियुक्ति करता है । रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार, रोजगार कार्यालयों से नामित व्यक्तियों के साथ दैनिक मजदूरी पर नियुक्त लोगों को नियमित स्थापना में नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया जाता है बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव इत्यादि रखते हों और उन्होंने एक कलेन्डर वर्ष में नैमैत्तिक आधार पर रोजगार में 240 दिन पूरे कर लिए हों । केन्द्रीय भण्डार एक व्यावसायिक संगठन होने के कारण अपनी व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित अपने विभिन्न कार्य भी नैमैत्तिक श्रमिकों के माध्यम से करवाता है तथा ऐसे नैमैत्तिक श्रमिकों को नियमित वेतनमान अन्तर्गत लाना व्यवहार्य नहीं है ।

सुपर बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगातार 240 दिन की दैनिक मजदूरी अवधि पर नियोजित रहा हो तो वह नियमित किए जाने का पात्र है, बशर्ते कि सुपर बाजार में रिक्ति उपलब्ध हो । विगत में, सुपर बाजार में ऐसा नियमितिकरण किया गया है किन्तु इस समय दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नियमितिकरण किया जाना हो ।

Violation of Labour Laws by Insecticide Manufacturers

1828. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether the insecticide manufactur ing compaines are violating the existing labour laws and security measures;

(b) if so, the names of such companies against whom action has been taken Ior such a violation during the last three years: and

(c) whether Government have reviewed the working of such companies to ensure proper implementation of the existing labour laws/security measures.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on Ihe Table of the House.

Cess on Films for Cine Workers Welfare Fund

1829. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have raised the cess on films for the Cine Workers Welfare Fund;

(b) if so, the reasons and justification thereof;

(c) the details of the welfare activities undertaken by Government for Cine Workers during the last three years; and

(d) the details of representations received by Government from Cine Workers to provide them facilities and action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A SANGMA : (a) and (b) Yes, Sir. The cess on feature films has been raised w.e.f. 13-10-94 to augment the resources position of the Cine Workers Welfare Fund, so as to expand the welfare facilities to the Cine Workers.

(c) and (d) Due to resource constraints, the welfare facilities for Cine Workers from the Cine Workers Welfare Fund have been restricted to financial assistance towards education for the children of cine workers and financial assistance for treatment of Cancer and Heart deseases in respect of Cine Workers and their family members, who are also being provided medical treatment from dispensaries/hospitals set up under the other Welfare Funds, wherever available. Some representations have been received from Cine Workers Associations for increasing the welfare facilities to Cine Workers as being extended to other categories of workers engaged in beedi and